उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-11/2021/134/92-2-21-93एम/2019

लखनऊ:: दिनांक 05 फरवरी, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ के पद पर कार्यरत रहने के दौरान विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी व जनपद हरदोई में कतिपय कार्यो हेतु आमंत्रित की गयी निविदाओं में की गयी अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-96/2020/309 प्र0स0/92-2-20-93एम/2019 दिनांक 24-07-2020 द्वारा श्री एम0एम0 हुसैन, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ सम्प्रति परिमण्डल-कानपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-07-2020 द्वारा संस्थित अनुशासनिक जॉच में अधिरोपित आरोपों की गम्भीरता के दृष्टिगत एतदद्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1655/92-2-2020-93एम/2019 दिनांक 08-10-2020 द्वारा श्री एम0एम0 हुसैन, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, परि0-लखनऊ सम्प्रति परि0-कानपुर को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुये कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ में सम्बद्ध किया गया।

3- अपचारी अधिकारी श्री एम0एम0 हुसैन, तत्का0 अधीक्षण अभियंता (सम्प्रति निलम्बित) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ सम्प्रति परि0-कानपुर जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-01-2021 को सेवानिवृत्त हो गये है के दृष्टिगत उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव।

संख्या- 11/2021/134(1)/92-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री एम0एम0 हुसैन, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, परि0-लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in